

7

फर्द अहकाम

(नियम 13)

24/9/18
11/10/18
22/10/18
29/10/18
20/11/18




अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी
हलका गोळिया जीवराज

बनाम

श्री चम्पा
पुत्र श्री गिरधारी जाति भोजवासे
निवासी गोळिया जीवराज

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 07 वर्ष 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
05-09-18	<p>पटवारी हलका <u>गोळिया जीवराज</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2075 में मौजा <u>गोळिया जीवराज</u> के खसरा नंबर <u>243</u> रकबा <u>0-10 बीघा</u> किस्म भूमि <u>गै.क.</u> <u>जडी</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलव किया जावें। पत्रावली दिनांक <u>24/9/18</u> को वमुकाम सिणधरी में पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"> तहसीलदार सिणधरी</p>	
24/9/18	<p>पत्रावली माफ पेश हुई। गैर सायल किली कार्य हेतु काश्त होने से उनके पुत्र <u>इन्द्रजीत</u> उनकी लवाइ उपस्थित। पटवारी हलका उपस्थित। गैर सायल अतिक्रमण हेतु अग्र यद्द है। अतः पत्रावली माई-5 दिनांक <u>11/10/18</u> के वमुकाम <u>गोळिया जीवराज</u> महसूल है।</p> <p style="text-align: center;"> तहसीलदार सिणधरी</p>	<p><u>इन्द्रजीत</u></p> <p></p>


R.C.M.S

2018/07/18 निर्णित

18/12/18

1=18

पत्रावली भाग पेश हुई। गैर साफल अनुपस्थित पत्रवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पत्रवारी हल्का की रिपोर्ट का इन्टरक्रिया जाकर पत्रावली दिनांक 20/11/18 को पेश है।


तहसीलदार सिणधरी

20/11/18

पत्रावली भाग पेश हुई। गैर साफल अनुपस्थित पत्रवारी हल्का उपस्थित। पत्रवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। पत्रवारी हल्का की रिपोर्ट का इन्टरक्रिया जाकर पत्रावली दि. 17/12/18 को पेश है।



तहसीलदार सिणधरी

17/12/18

पत्रावली भाग प्रस्तुत हुई। गैर साफल अनुपस्थित पत्रवारी हल्का उपस्थित। पीएमसीन अधिकारी कैडीप आपका प्रबन्धन एवं सहायता दल के साथ क्षेत्रीय क्रम में होने से टेलिफोन वार्ता अनुसार पत्रावली आईन्डा दिनांक 18/12/18 को प्रस्तुत है।

18/12/18

पत्रावली भाग मौके पर प्रस्तुत हुई। गैर साफल का पुत्र इन्डपीत उपस्थित। पत्रवारी हल्का उपस्थित गैर साफल के पुत्र की उपस्थिति में मौके पर से कांस्टेबल काड. हटवाई जाकर बेदरवली की गई। उपस्थित लोगों को हिदायत दी गई कि पुनः इस जगह पर काड. इलाफे करके कवना नहीं करें। पत्रावली फौसल सुमार है। फई बेदरवली शामिल मिसल की जावे निवार्य अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फौसल सुमार होकर नंबर से कां होकर दारिबल्य दफतर है।


तहसीलदार सिणधरी

v

इ-प्र.जी.न


पत्रावली
18/12/18